(410)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.12(82)नवि / 2000 जयपुर, दिनांक 15.3.01

:: अधिसूचना ::

राज्य के नगर विकास न्यासों के अनेकों ऐसे न्यायिक प्रकरण एवं नागरिकों तथा न्यासों के मध्य न्यायालयों के बाहर भी ऐसे विवादित प्रकरण चल रहे हैं जिनके परिणामस्वरूप नागरिक तो जहां अपने मामलों के निष्पादन के अभाव में कठिनाई व मानसिक उत्पीड़न से ग्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर नगर विकास न्यासों पर मुकदमों की पैरवी आदि के कारण आर्थिक भार भी पड रहा है। लगातार ऐसे विवाद न्यासों तथा लोगों के बीच घटने की बजाय बढ रहे हैं। मुख्यतया ऐसे प्रकरण निम्न विषयों से संबंधित है :-

1. भवन निर्माण के संबंध में कानूनी प्रावधानों, विनियमों और नियमों के अंतर्गत प्रचलित प्रकरण।

2. भूमि एवं भवन के अनाधिकृत उपयोग एवं तत्संबंधी मामले, बिना स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामले और चाही जा रही स्वीकृति के मापदंडों के अनुरूप नक्शों का अनुमोदन न होना आदि विषय शामिल हैं।

3 आवंटन, नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्डों के बारे में व जमीनों के टाइटल सहित कीमत की वसूली व अन्य समस्त ऐसे मामले।

4. अन्य ऐसे मामले जो इन संस्थाओं के अधिनियमों, अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों के अंतर्गत प्रचलित समस्त प्रकार के विवाद।

उपरोक्त विवादित बिन्दुओं के फलस्वरूप सार्वजनिक हित की कई योजनाओं, भवन निर्माण की गतिविधियों के विस्तार, आज के परिप्रेक्ष्य में शहरी भूमियों के पर्याप्त उपयोग के मामलों के निस्तारण में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। विवादों और मुकदमों के गुण-दोष के आधार पर निपटारे की महत्वपूर्ण आवश्यकता को लंबे समय तक नजर अंदाज नहीं करने के निमित्त राज्य सरकार का यह मत है कि अदालत में प्रचलित ऐसे मामले और अदालतों के बाहर लंबित ऐसे समस्त विवादों के समाधानों के निस्तारण हेतु राज्य के समस्त नगर विकास न्यासों के उपरोक्त विषयों के प्रकरणों का

(252)

समझौते से निस्तारण करने के लिए समझौता समितियां का गठन किया जावे, फलतः राज्य सरकार निम्न प्रकार राज्य स्तरीय समिति का गठन करती है :–

स्थानीय समझौता समिति

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष, संबंधित न्यास | अध्यक्ष |
| सचिव, संबंधित न्यास | सदस्य सचिव |
| संबंधित क्षेत्र के विधायक | विशेष आमंत्रित |
| राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य(जिनमें कम से कम एक की पृष्ठभूमि विधिक हो) | सदस्य |

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्य जिनमे कम से कम एक की पृष्ठभूमि विधिक हो।

राज्य स्तरीय समझौता समिति

| | |
|---|---|
| मंत्री, नगरीय विकास विभाग | अध्यक्ष |
| शासन सचिव, नगरीय विकास | उपाध्यक्ष |
| अध्यक्ष एवं सचिव, संबंधित नगर विकास न्यास | सदस्य |
| श्री मोहम्मद रफीक, अतिरिक्त महाधिवक्ता | सदस्य |
| मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी | सदस्य |
| शासन उप सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग | सदस्य सचिव |

समझौते के लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क

जो व्यक्ति विवाद का समझौते से निस्तारण चाहते हों, वे व्यक्ति समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव या उपाध्यक्ष के सम्मुख आवेदन प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य सचिव संबंधित न्यास की पत्रावली और तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त कर पत्रावली का संधारण करेंगे। तत्पश्चात् समिति

की बैठक की तिथि तय करने के लिए अध्यक्ष से सहमति प्राप्त कर आवेदक के लिए कार्य सूची जारी करेंगे। आवेदक को समझौते के आवेदन के साथ संबंधित न्यास में 1500/- रु आवेदन शुल्क के रुप मे जमा करवाने होंगे। यह राशि आवेदक को वापस नहीं लौटाई जावेगी। समझौते के आवेदन के साथ इस शुल्क की रसीद/चालान की प्रति लगानी होगी।

सामान्य निर्देश

1. स्थानीय समिति की बैठकें न्यास मुख्यालय पर तथा राज्य स्तरीय समिति की बैठकें सामान्यतया जयपुर सचिवालय में आयोजित होगी।

2. समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष किसी मामले विशेष में वित्त/विषय विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में राय जानने के लिये विशेष रुप से आमंत्रित कर सकेंगे।

3. राज्य स्तरीय समिति समझौतों के मामलों में संबंधित न्यास का रिकॉर्ड तलब कर सकेगी और संबंधित अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने अथवा रिपोर्ट आदि देने के लिए निर्देशित कर सकेगी।

4. समिति के समक्ष पक्षकारों को अपना पक्ष रखने के लिए बैठकों में आमंत्रित किया जायेगा और संबंधित न्यास को भी अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

5. समिति के निर्णयों की पालना समिति के संबंधित नगर विकास न्यास के सचिव सुनिश्चित करेंगे। निर्णय की पालना आज्ञापक होगी।

6. समिति के सामने आवेदक को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा किन्तु आवेदक की ओर से अभिभाषक को पैरवी करने की अनुमति सामान्यतया नहीं होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आवेदक की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति अथवा अभिभाषक को समिति के सम्मुख उपस्थित होने की अनुमति समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

7. समिति की बैठक -- स्थानीय समझौता समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक दो माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी। समझौते के लिए प्राप्त प्रकरणों

का निष्पादन स्थानीय समिति एक माह में एवं राज्य स्तरीय समिति 45 दिवस में सुनिश्चित करेगी। समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव अपनी देख-रेख में संधारित करवायेंगे। समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर किये जावेंगे।

समिति की समझौते की शक्तियां –

1. स्थानीय समझौता समिति ऐसी संपत्तियों जिनकी कीमत 30.00 लाख रुपये तक हैं, उस प्रकरण विशेष में 3 लाख रुपये तक ब्याज शास्ति शुल्क व अन्य चार्जेज में गुण दोष के आधार पर छूट देने के लिए अधिकृत होगी। राज्य स्तरीय समिति उपर उल्लेखित समस्त मामलों मे निर्णय लेने के लिए पूर्णतया अधिकृत होगी। यदि कोई न्यास पक्षकार के मध्य ऐसे मामलों में प्रावधानानुसार समझौता करना चाहे तो - वे अन्यथा प्राविधित प्रकिया के अन्तर्गत ऐसे समझौते कर सकेगी। समितियों का निर्णय नगर विकास न्यास के लिए बाध्यकारी होगा तथा न्यास समिति के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकेंगे।

2. संबंधित न्यासों के नियमों/अधिनियमों में ऐसे मामलों में समझौते के लिए अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए भी इस समिति का निर्णय न्यासों के विधि प्रावधानों के अनुरुप माना जावेगा।

3. इन समितियों द्वारा समझौते के निर्णय में यदि कोई समझौता शुल्क या अन्य राशि जमा करवाना आदेशित किया जाता है तो वह राशि संबंधित न्यासों के कोष में जमा करवाई जावेगी। विवादों के निरतारण के मामले में अन्य शुल्क शास्ती, मूल राशि, ब्याज आदि समिति द्वारा निर्धारित नीति, प्रकिया, समयावधि में आवेदक के लिए जमा करवाना अनिवार्य होगा।

4. समिति न्यायालयों में प्रचलित मामलों और न्यायालयों के बाहर न्यासों एवं नागरिकों के बीच प्रचलित विवादों का निष्पादन कर सकेगी किन्तु न्यायालयों में प्रचलित मामलों के संबंध में समिति के निर्णय का कियान्वयन तब किया जायेगा जब संबंधित आवेदक याचिक प्रक्रिया से अपने वाद को वापस ले लेगा। इसी प्रकार न्यासों द्वारा भी यदि किसी

न्यायालय मे वाद दायर किया गया हो तो उसे वापस लेने के लिए न्यास पाबन्द होगा।

5 <u>बैठक की कार्यसूची एवं कोरम</u> – समिति की बैठक की कार्यसूची संबंधित सदस्यों के पास जहां तक संभव हो सात दिन पूर्व भेजी जावेगी। इसी प्रकार पक्षकारों और बैठक में बुलाये गये अन्य अधिकारियों को भी बैठक की जानकारी सामान्यतया सात दिन पूर्व दी जावेगी। समिति के अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में कार्य सूची के अतिरिक्त किसी मामले को आहूत बैठक में निर्णय के लिए प्रस्तुत करने के आदेश दे सकेंगे और ऐसे मामले जो कार्य सूची में दर्ज नही थे, उनके लिए संबंधित न्यास से तत्संबंधित रिकॉर्ड टिप्पणी और संबंधित अधिकारियों से जानकारी बैठक मे मांग सकेंगे।

स्थानीय समिति का कोरम तीन सदस्यों का होगा। राज्य स्तरीय समिति का कोरम चार सदस्यों का होगा। राज्य स्तरीय समिति की हर बैठक में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य समझी जावेगी और इस समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इस समिति के उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

निर्णय सामान्यतया सर्वानुमति से लिये जायेंगे किन्तु बहुमत के आधार पर लिया गया निर्णय भी विधि अनुरुप माना जाएगा।

6. <u>विविध दिशा-निर्देश</u>

1. समिति को प्रकरणों के निष्पादन के लिए यदि संबंधित मामले में किसी अन्य निकाय की पत्रावली या संबंधित अधिकारियों की राय जानना अथवा जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसे मामलों की पूर्ति संबंधित नगर विकास न्यास के सचिव द्वारा करवाई जावेगी।
2. समिति के निर्णय/निर्देश को संबंधित न्यास में किसी भी स्तर पर न तो रिव्यू/रिवाइज किया जा सकेगा और न ही इन निर्णयों के विपरीत कोई निर्देश दिये जा सकेंगे अर्थात् समिति के निर्णय की पालना संबंधित न्यास के लिए बाध्यकारी होगी।

3. राज्य के नगर विकास न्यासों की ओर से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में लंबित विवादों में संबंधित न्यास अपने अभिभाषकगण के जरिए [illegible] निष्पादन की प्रक्रिया न्यायालयों

करेंगे ताकि लंबे समय से चल रहे विवादों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके।

4. राज्य सरकार किसी भी समय इन समितियों को आवंटित कार्य, निर्धारित प्रकिया, सदस्यों की संख्या व सदस्यों के नामों व विषय विशेष अथवा कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए अधिकृत होगी।

आज्ञा से,

15.3.01

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन करवाकर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री नगरीय विकास एवं वयत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त जिला कलेक्टर
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
9. रक्षित पत्रावली।

15.3.01

शासन उप सचिव